>

Title: Need to bring Non-Government Organisations in the country under the ambit of Right to Information Act and ensure the audit of their accounts through Government appointed auditors.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): देश में ऐसे बहुत से गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) हैं जिन्हें केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से एक बड़ी धनराशि अनुदान के रूप में मिल रही है । लेकिन, इन संगठनों द्वारा सरकारी धनराशि मनमाने ढंग से व्यय/अपव्यय की जाती है । गैर सरकारी संगठनों को मिल रही सरकारी राशि का लेखा परीक्षण भी सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इन संगठनों को सूचना के अधिकार में शामिल किया गया है, जिस कारण लोगों को इनके क्रियाकलापों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और इनमें से अधिकतर गैर सरकारी संगठन सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग कर रहे हैं । इसलिए गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को सूचना के अधिकार के तहत शामिल करते हुए इनके लेखा परीक्षकों एवं क्रियाकलापों की जांच सी.ए.जी. अथवा किसी सरकारी एजेंसी से करवाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के प्रत्येक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) को सूचना के अधिकार के तहत शामिल करते हुए इनके लेखा परीक्षकों एवं क्रियाकलापों की जांच सी.ए.जी. अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से करवाए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए ।